रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-21072020-220605 CG-DL-E-21072020-220605

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 353] No. 353] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 20, 2020/ आषाढ़ 29, 1942 NEW DELHI, MONDAY, JULY 20, 2020/ASADHA 29, 1942

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2020

सा.का.नि. 457(अ).—मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा-अपेक्षित, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड (3) उपखंड (i) में भारत सरकार के स़ड़क परिवहन और राजमार्क मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 103(अ), तारीख 11 फरवरी, 2020 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अविध की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 11 फरवरी, 2020 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियम के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है:

अतः, अब केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु:-

3203 GI/2020 (1)

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (सातवां संशोधन) नियम, 2020 है।
  - (2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. मोटर यान नियम, 1989 में,-
  - (क) नियम 95 में, उपनियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
  - "(8) 1 अक्तूबर, 2020 के पश्चात् निर्मित 3.5 टी और एन 1 तक के अधिकतम द्रव्यमान वाले एम 1 श्रेणी के वाहन, जो टायर प्रेशर मानिटरिंग सिस्टम से सुसज्जित हैं, को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन तत्संबंधी बीआईएस विनिर्देश के अधिसूचित होने तक, समय-समय पर यथा-संशोधित एआईएस-154 का अनुपालन करना होगा:

परंतु एआईएस 110 के अनुसार अनुमोदित टायर प्रेशन मानिटरिंग सिस्टम के साथ सुसज्जित वाहन एआईएस 154 की अपेक्षाओं का अनुपालन किया हुआ समझा जाएगा।"

- (ख) नियम 100 में, 1 अप्रैल, 2021 से ही उपनियम (1) से (3ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-
  - "(1) केबिन से युक्त कृषि ट्रैक्टर, केबिन से युक्त निर्माण उपस्कर वाहन और कंबाइन हार्वेस्टर सहित प्रत्येक मोटर वाहन का हवा-रोक शीशा तथा खिड़की का शीशा सुरक्षा कांच या सुरक्षा कांचित पदार्थ से बना होगा:

परंतु एल 5 श्रेणी के वाहन (तिपहिया) और छत्र तथा किनारे से ढके वाहनों की खिड़कियों का शीशा एक्रेलिक या प्लास्टिक की पारदर्शी शीट का हो सकता है ।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए.-

- (i) सुरक्षा कांच या सुरक्षा कांचित से आईएस 2553 (भाग 2) (संशोधन 1) : 2019 के अनुरूप सामग्रियां अभिप्रेत हैं ;
- (ii) मोटर वाहन का हवा-रोक शीशा और खिड़की का शीशा, जिसकी आंतरिक सतह वाहन के अनुदैर्घ्य अक्ष से तीस डिग्री से अधक कोण पर हो, उसको सामने की ओर अग्र भाग समझा जाएगा।
- (2) प्रत्येक मोटर वाहन का हवा-रोक शीशा और पिछली खिड़की का सुरक्षा कांच या सुरक्षा कांचित इस प्रकार निर्मित होगा, जिसमें प्रकाश का दृश्य संचरण सत्तर प्रतिशत से कम न हो और समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक आईएस 2553 (भाग 2) (संशोधन 1) : 2019 के अनुरूप होगा ।
- (3) प्रत्येक मोटर वाहन की बगल की खिड़िकयों के लिए प्रयुक्त सुरक्षा कांच या सुरक्षा कांचित इस प्रकार निर्मित होगा, जिसमें प्रकाश का दृश्य संचरण पचास प्रतिशत से कम न हो और भारतीय मानक आईएस 2553 (भाग 2) (संशोधन 1) : 2019 के अनुरूप होगा।
- (4) प्रत्येक मोटर वाहन का स्वामी उपनियम (2) और उपनियम (3) में यथा-विनिर्दष्ट सुरक्षा कांच या सुरक्षा कांचित के माध्यम से प्रकाश का दृश्य संचरण बनाए रखेगा।";
- (ग) नियम 123 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

- "123. मोटर साइकिल में सुरक्षा उपकरण (1) प्रत्येक मोटर साइकिल का विनिर्माता, जहां पिछली सवारी के लिए उपबंध है, अपने विनिर्माण के दौरान निम्नलिखित सुरक्षा उपकरणों को सुनिश्चत करेगा, अर्थात्:-
  - (क) मोटर साइकिल के पीछे या चालक की सीट के पीछे पिछली सवारी को हाथ से पकड़ने का प्रावधान किया जाना और समय-समय पर यथा–संशोधित आईएस:14495 1998 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा;
    - (ख) मोटर साइकिल पर पिछली सवारी के लिए दोनों तरफ पायदान; और
  - (ग) मोटर साइकिल के पिछले पहिए के बांयी तरफ, जो आधे भाग से कम न हो, ढकने वाला एक सुरक्षात्मक उपकरण हो, ताकि पिछली सवारी के कपड़ों को पिछले पहिए में उलझने से रोका जा सके।
  - (2) 1 जनवरी, 2022 से ही विनिर्मित प्रत्येक मोटर साइकिल के पायदान के लिए भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन तत्संबंधी बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित किए जाने तक, समय-समय पर यथा–संशोधित एआईएस 148 : 2018 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा।
  - (3) मोटर साइकिल में एक हल्के वजन का पात्र लगाया गया है, जो वह निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करेगा, अर्थातु:-
    - (क) पात्र का आयाम लंबाई में 550 मिमी, चौड़ाई में 510 मिमी और ऊंचाई में 500 मिमी से अधिक नहीं होगा;
    - (ख) पात्र का भार, उसके आलंबन और ले जाने वाले भार सहित 30 किग्रा. से अधिक नहीं होगा:
    - (ग) यदि ऐसे पात्र को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो पीछे सवार होने की अनुमित नहीं दी जाएगी, परंतु पात्र का भार उसके आलंबन और उसमें ले जाने वाले भार सिहत विनिर्माता द्वारा विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय सकल वाहन का किग्रा. में भार के भीतर होगा और नियम 126 में निर्देष्ट जांच ऐजेंसी द्वारा अनुमोदित भी हो;
    - (घ) यदि ऐसे पात्र को पिछली सवारी के स्थान के पीछे लगाया जाता है, तो पिछली सवारी को बैठने की अनुमित होगी, परंतु वाहन, यात्री और उसके आलंबन तथा ले जाने वाले भार सिहत पात्र का भार विनिर्माता द्वारा विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय सकल वाहन का किग्रा. में भार के भीतर होगा और नियम 126 में विनिर्दिष्ट जांच ऐजेंसी द्वारा अनुमोदित भी हो।
  - (4) 1 जनवरी, 2022 से ही विनिर्मित मोटर साइकिल, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन तत्संबंधी बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित किए जाने तक, समय-समय पर यथा–संशोधित एआईएस 147 : 2018 में विनिर्दिष्ट बाहर निकलने वाले हिस्से संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा।
  - (5) 1 जनवरी, 2022 से ही विनिर्मित मोटर साइकिल, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन तत्संबंधी बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित किए जाने तक, समय-समय पर यथा–संशोधित एआईएस 146 : 2018 में विनिर्दिष्ट बाहर निकलने वाले हिस्से संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा।";

- (घ) नियम 124क के उपनियम 5क में, "कृषि ट्रैक्टर के लिए यांत्रिक युग्मन" शब्दों के स्थान पर "कृषि ट्रैक्टर के लिए यांत्रिक युग्मन, जहां कहीं भी उपबंधित है" शब्द रखे जाएंगे:
- (ङ) नियम 138 के उपनियम (4) के खंड (क) में, वर्तमान परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"परंतु यह और कि एम1 श्रेणी के ऐसे वाहनों की दशा में, जिसमें ट्यूबलेस टायर लगाया गया है और एक मानक मद के रूप में टायर मरम्मत किट उपलब्ध कराई गई है, तो ऐसे वाहनों को तैयार या अस्थायी उपयोग वाले अतिरिक्त पहिए की आवश्यकता नहीं हो सकेगी।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए टायर मरम्मत किट से अभिप्रेत है, वाहन में रखा गया सहज मरम्मत किट, जिसका टायर पंचर होने की स्थिति में, संपीडित वायु के साथ पंचर बनाने वाले स्थान को सील करने वाले विशिष्ट पदार्थ का उपयोग करके किया जाता है।"।

[फा. सं. आरटी-11028/03/2019-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण:— मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.िन. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.िन. 414(अ), तारीख 26 जून, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किए गए।

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2020

**G.S.R. 457(E).**—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways vide number G.S.R 103 (E), dated the 11<sup>th</sup> February , 2020, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date of which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the  $11^{th}$ February, 2020;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely.-

- 1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Seventh Amendment) Rules, 2020.
- (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989,
  - (a) in rule 95, after sub-rule (7), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
    - "(8) The vehicles categories M1 up to maximum mass of 3.5 T and N1 manufactured after the  $1^{st}$  October, 2020 fitted with tyre pressure monitoring system shall confirm to AIS 154; as

amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016):

Provided that vehicles fitted with tyre pressure monitoring system approved as per AIS 110 shall deem to comply with requirements of AIS 154."

(b) in rule 100, for sub-rules (1) to (3B), the following shall be substituted on and from the  $1^{st}$ April,

2021, namely:-

"(1) The windscreen and window glass of every motor vehicle including agriculture tractor fitted with cabin, construction equipment vehicle fitted with cabin and combine harvester shall be made of safety glass or safety glazing material:

Provided that in L5 category vehicles (three wheelers) and vehicles with hood and side coves, the window glass may be made of acrylic or plastic transparent sheet.

Explanation. - For the purposes of this rule,

- (i) safety glass or safety glazing means the materials confirming to IS 2553 (Part 2) (Revision 1): 2019:
- (ii) windscreen and window glass of motor vehicle, the inner surface of which is at an angle more than thirty degrees to longitudinal axis of the vehicles, shall be deemed to face to the front.
- (2) The safety glass or safety glazing of the windscreen and rear window of every motor vehicle shall be so manufactured to provide not less than seventy percent visual transmission of light and it shall conform to Indian Standards IS 2553 (Part 2) (Revision 1): 2019 as amended from time to time.
- (3) The safety glass or safety glazing used for side windows of every motor vehicle shall be so manufactured to provide not less than fifty percent visual transmission of light and it shall conform to Indian Standards IS 2553 (Part 2) (Revision 1): 2019 as amended from time to time.
- (4) The owner of every motor vehicle shall maintain the visual transmission of light through safety glass or safety glazing as specified in sub-rule (2) and sub-rule (3).";
- (c) for rule 123, the following rule shall be substituted, namely:-
- "123. Safety devices in motor cycle.—(1) The manufacturer of every motor cycle which has a provision for a pillion rider shall ensure the following safety devices during its manufacture, namely:—
  - (a) provision for pillion hand holds on the side of the motor cycle or behind the driver seat and it shall comply with the requirement specified in IS: 14495-1998, as may be amended from time to time;
  - (b) foot rests for the pillion rider on both sides of the motor cycle; and
  - (c) protective device covering not less than half portion of the rear left wheel of the motorcycle so as to prevent the clothes of the person sitting on the pillion entangled in the rear wheel.
  - (2) The footrests of every motorcycle manufactured on and from the 1<sup>st</sup> January, 2022 shall comply with the requirements specified in AIS 148:2018, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).
  - (3) The motorcycle fitted with a light weight container shall meet the following requirements, namely:—
    - (a) the dimensions of the container shall not exceed 550 mm in length, 510 mm in width and 500 mm in height;
    - (b) weight of the container including its mounting and load carried therein shall not exceed 30 kgs.;
    - (c) if the container is fitted on the pillion rider space, no pillion rider shall be allowed, provided that the weight of container including its mounting and load

carried therein shall be within the permissible gross vehicle weight in kg., specified by the manufacturer and also approved by the test agency referred to in rule 126;

- (d) if the container is fitted behind the pillion rider space, pillion rider shall be allowed provided that the weight of the vehicle, passenger and container including its mounting and load carried therein shall be within the permissible gross vehicle weight in kg., specified by the manufacturer and also approved by the test agency referred to in rule 126.
- (4) The motorcycle manufactured on and from the 1<sup>st</sup> January, 2022 shall comply with the stand requirements specified in AIS 146:2018, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).
- (5) The motorcycle manufactured on and from the 1<sup>st</sup> January, 2022 shall comply with the external projection requirements specified in AIS 147:2018, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).";
- (d) in rule 124A, in sub-rule 5A, for the words "mechanical couplings for agricultural tractor", the words "mechanical coupling device wherever provided for agricultural tractor" shall be substituted;
- (e) in rule 138, in sub-rule (4), in clause (a), after the existing proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that in case of M1 category of vehicle fitted with tubeless tyre and supplied with tyre repair kit as a standard item, it may not require a ready to use or temporary use spare wheel.

*Explanation*: For the purposes of this rule, tyre repair kit means an easy to repair kit stored in the vehicle, which in the incident of tyre puncture is used to seal the punctured spot in the tyre tread using specific sealant poured into the tyre along with compressed air."

[F. No. RT-11028/03/2019-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

**Note.**— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Subsection (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2<sup>nd</sup> June, 1989 and lastly amended vide notification number G.S.R. 414 (E), dated the 26<sup>th</sup> June, 2020.